रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-13022025-260991 CG-MH-E-13022025-260991

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] No. 112] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 फरवरी, 2025

- फा. सं. विबाविवि.डीआईआरडी.14/14.03.042/2024-25.—भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. एस.ओ.183(ई) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2192(ई) ('अधिसूचना') में निम्नानुसार संशोधन करता है:
- खंड (ए) में, उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-
 - "(1) सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद के लिए संविदा, इसके अलावा:
 - ए) स्पॉट डिलीवरी संविदाएं,
 - बी) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार की गई अन्य संविदाएं जो उक्त अधिनियम, नियमों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के उप-नियमों के तहत अनुमेय हैं, या

1109 GI/2025 (1)

सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विशेष रूप से अनुमत कोई अन्य संविदा।" उपर्युक्त संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./973/2024-25]

नोट: - भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. एस.ओ. 2192(ई) के द्वारा प्रकाशित दिनांक 8 जनवरी, 2010 की अधिसूचना।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th February, 2025

F. No. FMRD.DIRD.14/14.03.042/2024-25.—In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. S.O. 183(E) dated 1st March, 2000, the Reserve Bank of India hereby amends notification number S.O. 2192(E) dated 8th January, 2010 ('the notification') as under:

In clause (A), for sub-clause (1), the following shall be substituted, namely:-

- "(1) contract for the sale or purchase of Government Securities, gold related securities and money market securities, other than:
 - a) spot delivery contracts,
 - b) such other contracts traded on a recognised stock exchange as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange, or
 - c) any other contract specifically permitted in this regard by the Reserve Bank of India, from time to time."

The above amendment shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager [ADVT.-III/4/Exty./973/2024-25]

Note:- The notification dated 8th January, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2192(E).